न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर(राज.)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **57/2013** (आवंटन निरस्ती)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री देवा पिता सवा भील, निवासी ग्राम करगेट, तहसील गिर्वा, उदयपुर
2. शाखा प्रबन्धक, आई सी आई सी आई बैंक, उदयपुर

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि भुमि आवंटन नियम 1970

उपस्थितिः—	1— श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार 2— श्री गोवर्धनसिंह सारंगदेवोत, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः .....

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम (भूमि आवंटन नियमन) के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 15.06.94 को ग्राम करगेट की बिलानाम आराजी नम्बर 1434 में रकबा 0.5000 हैक्टर भुमि विपक्षी संख्या 1 देवा पिता सवा भील को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटीत की गई। जिसका राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 216 दिनांक 20.03.03 द्वारा विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई। आवंटन के 19 वर्ष से अधिक समय के पश्चात् भी आवंटी द्वारा कब्जा नहीं कर काश्त नहीं की गई। आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। जबकि वर्तमान में यह भूमि विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हैं। कब्जा नहीं होने के उपरान्त भी आई सी आई सी बैंक को उक्त भुमि को रहन

रख ऋण प्राप्त कर लिया। जो वर्तमान में आई सी आई सी आई बैंक उदयपुर के नाम रहन दर्ज हैं। लम्बे समय के बाद भी विपक्षी द्वारा आवंटीत भुमि पर कोई काश्त नहीं की गई। नाही कब्जा किया गया। अतः विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से किया गया आवंटन खारीज कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई। विपक्षी संख्या 2 की ओर से भी बावजुद नोटिस तामिल के कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध भी एकतरफा कार्यवाही दिनांक 27.06.17 को अमल में लाई गई।

प्रकरण में पैरोकार सरकार को सुना गया। विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के आधार पर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। अतः विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त करना फरमावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का द्वारा भू माफियाओ से मिलकर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। जो पर्चा मौका बनाया गया है वह पटवार खाने बैठकर लोगो के कहने से बनाया गया हैं। यदि मौके पर आते तो मैं उपस्थित मिलता क्योंकि मैं मौके पर मेरा कब्जा हैं। आवंटन के बाद विधिवत मुझे जमीन सिपुर्द की गई। मैं अनुसूचित जनजाति का सदस्य हुॅ। कुछ लोग इस भुमि को येन केन प्रकारेण प्राप्त करना चाहते हैं। जिसे मैं उन्हे नहीं देना चाहता हूॅ। जिस कारण से पटवारी हल्का से मिलकर मुझे जलील व परेशान करने की नियत से यह रिपोर्ट प्रस्तुत करवायी गई हैं। तहसीलदार जी द्वारा भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर कोई स्वतंत्र जॉच नही करवाकर सीधे ही 14(4) का प्रकरण बनाकर न्यायालय आप को प्रस्तुत कर दिया गया हैं। यदि उनके द्वारा

वास्तविक मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जाती तो सही स्थिति सामने आ जाती न्यायालय से भी निवेदन है कि निर्णय से पूर्व मौके की रिपोर्ट तलब करवायी जावें। ताकि न्यायालय के सामने भी दुध का दुध व पानी का पानी हो जायेगा। अतः कृपया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज कराना फरमावें।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार गिर्वा से भी रहन नामे कि प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। जो शामिल पत्रावली हैं। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में जो कथन किये गये है उनकी ताईद में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई हैं। तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ में आई सी आई सी आई बैंक द्वारा जो रहननामा दर्ज करवाया गया है उसकी छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमें यह स्पष्ट लिखा है कि विपक्षी संख्या 1 को ट्रैक्टर का लोन दिया गया परन्तु उसमें ट्रेक्टर संख्या अंकित नहीं है नाही बैंक की कौनसी शाखा द्वारा दिया गया है जिसका भी अभाव हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में पटवारी हल्का भल्लो का गुड़ा का पर्चा मौका प्रस्तुत किया गया है जिसमें पिछले 19 वर्षो से विपक्षी संख्या 1 का कब्जा आवंटीत भूमि पर रहा ही नहीं। जिसका खण्डन विपक्षी संख्या 1 द्वारा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाया जाने से स्वीकार किया जाता हैं।

अतः मौजा करगेट की आराजी नम्बर 1434 रकबा 0.5000 हैक्टर विपक्षी संख्या 1 देवा पिता सवा भील निवासी करगेट तहसील गिर्वा उदयपुर को दिनांक 15.06.94 को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उक्त आवंटीत भुमि को पुनः बिलानाम सरकार राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार गिर्वा को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त भुमि को राजस्व अभिलेख में बिलानाम सरकार दर्ज कर तहवील राज

ली जावें। बाद कार्यवाही पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बार कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर